



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 45047 /2025

अब्दुल रहीम

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

:

अमृता कश्यप

प्रतिवादी के अधिवक्ता

:

जी.ए.,

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है। आज दायर किया गया पूरक हलफनामा रिकॉर्ड में ले लिया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री रोहित शुक्ला, अधिवक्ता सुश्री अमृता कश्यप का पक्ष रखते हुए और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना गया और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक मामला अपराध संख्या 705/2025 में, धारा 103(1), 140(1), 312, 109, 115(2), 125, 3(5) बी.एन.एस., उत्तर प्रदेश गोहत्या (रोकथाम) अधिनियम की धारा 3/5A और 8, पशु क्रूरता अधिनियम की धारा 11 के तहत, पुलिस स्टेशन पिपराइच, जिला गोरखपुर में मुकदमे के लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका नाम सह-आरोपी अज़हर हुसैन के कबूलनामे में आया है,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसकी अब मौत हो चुकी है, जिसकी कानून की नज़र में सबूत के तौर पर कोई महत्व नहीं है।

आवेदक का उस बोलेरो पिकअप गाड़ी नंबर यूपी 25जीटी 2312 से कोई लेना-देना नहीं है।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक को सौंपे गए आठ मामलों की आपराधिक इतिहास बताई गई है। आवेदक 29.09.2025 से जेल में बंद है और वह मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा।

6. विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत अर्जी का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों पर कोई बहस नहीं हो सकी।

7. सुप्रीम कोर्ट ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** में कहा है कि किसी आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामला का लंबित होना ही जमानत देने से मना करने का आधार नहीं हो सकता, अगर उसके जमानत का केस बनता है।

8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक को सह-आरोपी व्यक्ति के कबूलनामे के आधार पर मामले में फंसाया गया है, जिसका कोई सबूत के तौर पर कोई महत्व नहीं है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, पहली नज़र में न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

8. आवेदक- **अब्दुल रहीम**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

27 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।